कल्याण आयुक्त, हरियाणा, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17 चण्डीगढ।

सेवा में

- सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
- सभी श्रम तथा समझौता अधिकारी, हरियाणा राज्य।
- कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद / पानीपता
- सभी श्रम निरीक्षक / श्रम निरीक्षक (कल्याण) हरियाणा राज्य।

क्मांक - 37027 - 159 दिनांक:- 10-5-2572-

-विषयः पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम्, 1965 की धारा ९३४ में सशोधन की अधिसूचना दिनांक 11.04.2012 अनुसार किए गये संशोधन की परिपालना वारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे।

विषय संबंध में आपको हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित Haryana Got. Gaz (Extra),
April, 11 2012 की प्रति जिसमें पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 93 में संशोधन किया गया
है तथा संशोधन अनुसार मास अप्रैल, 2012 से 10 रूपये श्रमिक (प्रतिमास) व 20 रूपये प्रति श्रमिक प्रतिमास नियोक्ताः
की और से उसमें शामिल करके अंशदान वर्णित अधिनियम के अन्तर्गत बोई में अदा करेगें।

अतः उपरोक्त नोटिफिकेशन की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि अधिनियम की संशोधित धारा के अनुसार भारत अप्रैल. 2012 से संशोधित दर अनुसार अंशदान की राशि मुख्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करवाए।

> उप श्रम आयुक्त (कल्याण) है कृतेः कल्यामा आयुक्त हरियाणा।

71

PART-I

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 11th April, 2012

No. Leg. 10/2012.—The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 29th March, 2012, and is hereby published for general information:—

HARYANA ACT NO. 8 OF 2012

THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND (HARYANA AMENDMENT)
ACT, 2012

 A_N

Act

further to amend the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965, in its application to the State of Haryana.

Buil enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

L. This Act may be called the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Act, 2012.

Short title.

2. In sub-section (1) of section 9A of the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965, for the words "five rupees" and "ten rupees", the words "ten rupees" and "twenty rupees" shall respectively be substituted.

Amendment of section 9A of Punjab Act 17 of 1965.

MANIIT SINGH, Secretary to Government Haryana, Law and Legislative Department.